## भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

## नियम 54 (12) देखें/ See Rule 54 (12) परिवार का ब्योरा/ DETAILS OF FAMILY

मेरे परिवार के सदस्यों का ब्यौरा/ \* Details of the members of my family as on 31.05.2017

क्रम सं. Sr. No.	परिवार के सदस्य का नाम Name of the members of family	जन्म-तिथि Date of Birth	अधिकारी से संबंध Relationship with the officer	कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर Initials of the Head of Office	टिप्पणी Remarks
1					
2					*
3	7				
4					
5					
6					
7					
8	3				

मैं एतद्व्दारा किसी भी वृध्दि/परिवर्तन के लिए कार्यालय प्रधान को अधिसूचित करते हुए ऊपर दिये गये विवरण को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ।

I hereby undertake to keep the above particulars up-to-date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of Government Servant दिनांक/Dated:

स्थान/Place: Mumbai – 12.

इस उद्देश्य के लिए परिवार का तात्पर्य सीसीएस पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 54 के उप-नियम 14 के खंड (ख) में परिभाषित परिवार से है।

\* Family for this purpose means family as defined in Clause (b) of sub-rule (14) of Rule 54 of the CCS(Pension) Rules, 1972.

नोट : पत्नी और पति क्रमश: कानूनी तौर पर अलग हुए पत्नी और पत्नी शामिल है।

Note: Wife and husband shall include respectively judicially separated wife and husband.